संख्या-8 /2025/ 278 /001-278-23-10-2025-23-10099-2-2025

प्रेषक,

धर्मेन्द्र कुमार पाठक,
उप सचिव
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-10 लखनऊ : दिनांक 25 अगस्त, 2025

विषय:- वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान सं0-54 लेखाशीर्षक-2059 लोक निर्माण कार्य-80-सामान्य-001-निदेशन तथा प्रशासन के अंतर्गत बचत की मद से आवश्यकता की मद में पुनर्विनियोग के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-I/233266/2025 दिनांक 07.08.2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान संख्या-54 ले0शी0 2059-लोक निर्माण कार्य-80-सामान्य-001-निदेशन और प्रशासन के अन्तर्गत बचत की मद से आवश्यकता की मद में रू0 56.91 लाख के पुनर्विनियोजन का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके उपरिसंदर्भित पत्र दिनांक 07.08.2025 द्वारा उपलब्ध कराये गये रू0 56.91 लाख के पुनर्विनियोग के प्रस्ताव के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान सं0-54 लेखाशीर्षक-2059 लोक निर्माण कार्य 80-सामान्य 001-निदेशन तथा प्रशासन-04-कार्यकारी के अंतर्गत 01-वेतन की मद से 52-पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राजकीय) मद में धनराशि रू0 56.91 लाख (रूपये छप्पन लाख इक्यानबें हजार मात्र) का पुनर्विनियोग करते हुये उक्तानुसार धनराशि की संलग्न बी0एम0-9 प्रपत्रानुसार निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

(1) जिस मद से पुनर्विनियोग कर रहे है, उस मद में चालू वित्तीय वर्ष में किसी प्रकार की धनराशि की मांग नहीं करेंगे तथा स्वीकृत कार्य पर ही धनराशि व्यय करेंगे।

(2) जिस मद में पुनर्विनियोग प्रस्तावित है उस मद की सम्पूर्ण धनराशि का नियमानुसार सदुपयोग इस वित्तीय वर्ष में कर लिया जायेगा।

(3) प्रस्तावित पुनर्विनियोग केवल बजट आवंटन के उद्देश्य से धनराशि की उपलब्धता हेतु किया जा रहा है। इस का व्यय समस्त सुसंगत वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए करेंगे।

क्रमश : .....

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 56,91,000 (रुपये छप्पन लाख इक्यानबे हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 054 **लेखा शीर्षक** 2059800010400 कार्यकारी **मानक मद** 52 पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राजकीय) के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनाँक- 27-मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(धर्मेन्द्र कुमार पाठक),
उप सचिव
उत्तर प्रदेश शासन ।

संख्या-8 /2025/ 278 (1) /001-278-23-10-2025-23-10099-2-2025, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम एवं द्वितीय उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
2- वित्त नियन्त्रक, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
3- मुख्य अभियन्ता (मु0-1), लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
4- संबंधित कोषाधिकारी, उ0प्र0।
5- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
6- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8।
7- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 (तीन प्रतियो में)/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2।
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(धर्मेन्द्र कुमार पाठक),
उप सचिव
उत्तर प्रदेश शासन ।